न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 29/18
आरसीएमएस संख्या :–2018/00115

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेन्द्र सिंह उम्र 75 साल पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
2. मुन्नी पत्नी हाकिम सिंह
3. रामपाल
4. श्यामपाल सिंह
5. प्रेमपाल सिंह
6. विजयपाल सिंह
7. गंगा सिंह

} पुत्रगण हाकिम सिंह जाति ठाकुर नि0 दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 02.04.2018 प्र.सं 137/10 उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित

निर्णय दिनांक–18.03.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 02.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रातिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 9 कुल रकवा 22–15 बीघा वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी एक हिन्दू अविभाजित परिवार की आय से अर्जित सम्पत्ति है तथा वादी/अपीलाण्ट एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी/रैस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है। वादी/अपीलाण्ट एक सीधा साधा व्यक्ति है। जबकि प्रतिवादीगण/रैस्पो0 राजकार्य में दक्ष व कर्ता खानदान थे। अतः उन्होनें वादी/अपीलाण्ट की इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर तथा वादी/अपीलाण्ट से छिपाते हुये, बिना किसी सक्षम अधिकारी आदेश, राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी के इन्द्राज अपने पक्ष में करवा लिये। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी/रैस्पो0 विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की भूमि पर दखलअंदाजी करते हैं एवं काश्त करने पर झगडा फसाद करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर संवत 2013 में महेन्द्र सिंह व हाकिम सिंह के गैर मौरूसी साल 02 के अंकन हैं। परन्तु इससे पूर्व विवादित आराजी, खसरा गिरदावरी में रामप्रसाद की खुद काश्त में दर्ज है। इस प्रकार संवत 2013 में विवादित आराजी पर महेन्द्र सिंह व हाकिम सिंह के गैर मौरूसी के इन्द्राज अवैध हैं। संवत 2013 में महेन्द्र सिंह व हाकिम सिंह नाबालिग थे। अधीनस्थ न्यायालय में हुये बयानो में उम्र अंकित हैं, तो वह नाबालिग होने से विवादित आराजी पर किस प्रकार काश्त कर सकते हैं। पुत्र अपने पिता की आराजी पर शिकमी अथवा गैर मौरूसी नहीं हो सकता। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों का एक साथ निस्तारित कर दिया एवं संवत 2013 की जमाबन्दी के इन्द्राजो का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया। प्रत्येक तनकी को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करते हुये पृथक–पृथक निर्णय पारित करना चाहिये था। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2011(2) पेज 761 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। संवत 2010–13 की जमाबन्दी में महेन्द्र सिंह व हाकिम सिंह गैर मौरूसी दर्ज हैं एवं संवत 2014–17 में उन्हें विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। अपीलाण्ट के पास ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसमें विवादित आराजी रामप्रसाद की खातेदारी अथवा खुदकाश्त में दर्ज हो। अपीलाण्ट जो खसरा गिरदावरी अपील के साथ प्रस्तुत की गयी हैं उन्हें साक्ष्य के रूप में पढा नहीं जा सकता

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्योंकि अपीलाण्ट ने उन्हें प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का एक साथ तनकी निर्णित करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। इसके अलावा खसरा गिरदावरी खातेदारी अधिकारो के लिये वैध दस्तावेज नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2023(2) पेज 785 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2010–2013 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रतिवादी/रैस्पो0 विवादित आराजी में गैर मौरूसी दर्ज रहे हैं। संवत 2012 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, तब उस समय जो काश्त कर रहा था वह स्वतः ही वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गया। जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी रैस्पो0 के जमाबन्दी संवत 2014–2017 में विवादित आराजी खातेदारी में दर्ज है। वादी अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिसमें विवादित आराजी पूर्व में उनके पिता रामप्रसाद के नाम दर्ज रही हो। वादी अपीलाण्ट ने जो खसरा गिरदावरी हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत की गयी हैं वह अस्पष्ट एवं अपठनीय हैं। वैसे भी खातेदारी अधिकारो के लिये खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईटस की संज्ञा में मान्य नहीं है। इसके अलावा विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त हो। ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01, 02, 03 का एक साथ निर्णय किया है। अपीलाण्ट का यह कथन अधीनस्थ न्यायालय के कार्य प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। परन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों को निर्णित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 02.04.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर